न्यायालय प्राधिकृत व आधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दांतारामगढ

कमाक / राजस्व / 07 / दिंनाक–

–:आदेश:–

नगर पालिका लोसल क्षैत्र में अवस्थित कृषि भूमि ख.न.1626/1 के खातेदार **सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान ,जयपुर जरिये सचिव** अरविन्द भूकर द्वारा अपने खाते व कब्जे आराजी के खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान कर उक्त भुमि को राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अन्तर्गत राज्यहित में पुनः गृहित करने के अनुरोध करने पर , उक्त भूमि की रेकार्ड व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार दांतारामगढ से ली गई जो पत्र कंमाक 1158/रीडर/दिनांक–07.06.07 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है । जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि ख.न.1626/1 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी की उप धारा 03 के प्रावधानानुसार पुनः गृहित किये जाने योग्य है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति बाबत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन क्षैत्रिय समाचार पत्र आस–पास संस्करण दिंनाक – 12 जुलाई 07 को हो चुका है जिसके अनुसार आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि दिंनाक 20.07.07 तक कोई भी आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई है ।

अतः राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ कस्बा लोसल तहसील दांतारामगढ में स्थित ख.न.1626/1 रकबा 0.56 है0 में प्रार्थी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करके राजहित में पुनःगृहित किये जाते है।

भूमि राज्यहित में पुनः गृहीत होने के फलस्वरूप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 80 क अन्तर्गत इस भूमि में नगरपालिका लोसल के अधिकार व स्वामित्व प्रादर्भूत होते है।

पुनःगृहीत की गई उक्त भूमि राज्य में सभी प्रभारो से मुक्त होकर राज्य में निहित रहेगी तथा वह इस अधिनियम की धारा 102 क अधीन स्थानीय प्राधिकारी के निपटान के लिऐ रखी हुई समझी जाऐगी । परन्तु उपधारा 3 के अधीन समर्पित की गई यह भूमि उसी व्यक्ति / संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी जिस प्रयोजन हेतु समर्पित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

कंमाक / राजस्व / 07 / 1506–09 दिंनाक:– 24-7-07
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.माननीया जिला कलक्टर महो0 , सीकर ।
2.तहसीलदार,दांतारामगढ को प्रेषित कर लेख है कि समर्पित की गई भूमि का लगान कम करके नामान्तरकरण नगरपालिका , लोसल के नाम खोला जावे ।
3.अधिशाषी अधिकारी , नगर पालिका – लोसल ।
4.**सचिव सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान , जयपुर ।**
5.रक्षी पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

कार्यालय नगर पालिका मण्डल लोसल (सीकर)

क्रमांक :–न.पा.लो. / 2023–24 / 1544 दिनांक :– 11.07.2023

सचिव सरदार पटेल शैक्षणिक एवं
ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।

विषयः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2023 के जवाब के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि आपकी कृषी भूमि रूपान्तरण के तहत संस्थागत भूमि नियमन पत्रावली संख्या 744 / 2022–23 (2933.33 वर्गगज) व 743 / 2022–23 (3777.77 वर्गगज) पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(डॉ.सहदेव कुमार चारण)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका लोसल